रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940
No. 745] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

indiacode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 1039(अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (गोवा, दमन और दीव प्रथम संशोधन)अधिनियम 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 6) और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 (1999 का गोवा अधिनियम 1) का विस्तार जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को गोवा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

भाग – क

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा, दमन और दीव प्रथम संशोधन)

अधिनियम, 1979

(1979 का अधिनियम संख्यांक 6)

1. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा, दमन और दीव प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में, संपूर्ण अधिनियम में,-

 (क) "गोवा, दमन और दीव" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली" शब्द रखे जाएंगे ;

 (ख) "राज्य" जहां-जहां यह शब्द आता है के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

 (ग) "महानिरीक्षक" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर "सोसाइटी का रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे ;

2. उक्त अधिनियम में,-

 (क) धारा (1) में, उपधारा (1) में "1979" अंकों के पश्चात् "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) धारा 2 में, "1. परिभाषाएं" शीर्षक के अधीन,-

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(क) "सोसाइटी के रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम की धारा 2क के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(घ) "सरकार" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिसका प्रधान प्रशासक होगा, अभिप्रेत है';;

(ग) धारा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"**2क. रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार** – सरकार ऐसे व्यक्तियों को चाहे वे लोक अधिकारी हों या नहीं, उस जिला के क्रमशः रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार जैसा वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी ।"

(घ) धारा 11 में, खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ङ) धारा 14 में, "21. नियम बनाने की शक्तियाँ" शीर्षक के अधीन उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रुप में प्रभावी या निष्प्रभावी, यथास्थिति, हो जाएगा, किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

भाग – ख

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998

(1999 का गोवा अधिनियम 1)

1. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में, संपूर्ण अधिनियम में "महानिरीक्षक" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर "सोसाइटी का रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिनियम में.-

(क) धारा 1 में, उपधारा (1) में "1998" अंकों के पश्चात् "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) धारा 2 में, "3ख रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण" शीर्षक के अधीन उपधारा (1) में परंतुक में "1998" अंकों के पश्चात् "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथाविस्तारित" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. यू.11025/3/2017-यूटीएल]

गोविन्द मोहन, अपर सचिव

संलग्नक –I

गोवा, दमन और दीव सरकार

विधि विभाग (विधिक सलाह)

अधिसूचना

एलडी/3429/2/79

निम्नलिखित अधिनियम जो कि 27.3.1979 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया और 20.9.1979 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई, एतदद्वारा जनता की साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

ब्री.एस.सुवन्ना, अवर सचिव, (विधि)

पणजी, 9 अक्तूबर, 1979।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा, दमन और दीव प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1979

(1979 का अधिनियम, संख्यांक 6) [20.9.1979]

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 को गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में इसे लागू करने में संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में गोवा, दमन और दीव विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** :- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा, दमन और दीव प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1979 है।

2. इसका विस्तार संपूर्ण गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।

3. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **धारा 1 का संशोधन** – सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में वर्तमान धारा 1 को धारा 1क के रुप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और ;

(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 1क पहले निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"**1. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "महानिरीक्षक" से भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनयम 16) की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण का महानिरीक्षक अभिप्रेत है और इसमें रजिस्ट्रीकरण के महानिरीक्षक के अधीनस्थ जिला रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न कोई भी जिला प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के संबंध में शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सके, सम्मिलित है ;

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ) "सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण आदेश" से गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) कठिनाइयों को दूर करने का आदेश,1962 के खंड 2 के अधीन गोवा, दमन और दीव के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया गया सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण आदेश अभिप्रेत है।"

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 1क में "संयुक्त स्टाक कंपनियों के रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक" शब्द रखा जाएगा।

3. धारा 3 का संशोधन – मूल अधिनियम की धारा 3 में,

(i) "रजिस्ट्रार प्रमाणित करेगा" शब्दों के स्थान पर "धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए महानिरीक्षक प्रमाणित करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "रजिस्ट्रार को" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक को" शब्द रखे जाएंगे।

4. नई धारा 3 क का अंतःस्थापन – मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"**3क. अवांछनीय नामों वाली सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध प्रतिषेध.-** कोई भी सोसाइटी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जिसका नाम महानिरीक्षक की राय में समरुप या पहले से रजिस्ट्रीकृत हो चुकी विद्यमान किसी सोसाइटी के इतना सदृश है कि उससे जनता या अन्य सोसाइटियों के सदस्यों की प्रवंचना की संभावना होने के कारण अवांछनीय हो या जो कि संबंधित सरकार की पूर्व सहमति के बिना प्रयोग किया जा रहा हो और जो किसी सरकार का आश्रय या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गठित किसी निकाय से संबंध निर्दिष्ट करे या निर्दिष्ट करने की प्रकल्पना करे या इसकी और से बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए महानिरीक्षक द्वारा अवांछनीय समझा जाए। परंतु यह कि धारा 3क के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित होना प्रस्तावित है, मामले पर सुन न लिया जाए।"

5. धारा 4 का संशोधन – मूल अधिनियम की धारा 4 में "संयुक्त स्टाक कंपनियों के रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ।

6. नई धारा 4क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"4क. सोसाइटी के शासी निकाय से सूचना और विवरणियों को मंगाने की महानिरीक्षक की शक्ति और उससे संबंधित प्रावधान.- (1) महानिरीक्षक सोसाइटी द्वारा नियोजित व्यक्तियों की सूचना या उससे संबंधित विवरणियाँ उनके नियोजन की शर्तें (उनकी परिलब्धियाँ, किसी अभिदाय, रियायतें या कर्मचारियों को प्रदत्त अन्य फायदे या सुविधाओं सहित) और उससे संबंधित अन्य ऐसे मामले जो विहित किए जाएं, की अपेक्षा करने वाली नोटिस की ऐसी रीति से देने की जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के शासी निकाय जिसको कि सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध सौंपा गया है, तामील कर सकेगा या तामील करवा सकेगा।"

(2) प्ररुप, जिसमें ऐसी सूचना या विवरणियां दी जाएगी, विशिष्टियाँ जो उसमें अंतर्विष्ट होंगी और अंतराल (यदि कोई हो) जिसमें ऐसी सूचनाएं और विशिष्टियाँ दी जाएंगी, ऐसा होगा कि विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1)में निर्दिष्ट नोटिस की तामील डाक द्वारा की जा सकेगी। ।

(4) इस धारा के उद्देश्यों के लिए संग्रहित कोई सूचना या विवरणी ऐसी सोसाइटी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसके संबंधमें सूचना

या

विवरणी दी गई है या तैयार की गई है, ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे कि कोई विशिष्टि किसी विशिष्ट सोसाइटी को निर्दिष्ट कर रही हो ।

(5) भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या धारा 11क के अधीन अभियोजन के उद्देश्यों के अलावा, महानिरीक्षक या उसकी ओर से उसके द्वारा सम्यक रूप से विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति उपरोक्त रुप से दी गई सूचना या विवरणियों को देखने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(6) इस धारा के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या आशयित किसी कार्य के संबंध में महानिरीक्षक या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी ।

7. नई धाराओं 11क, 11ख और 11ग का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"11क. धारा 4क के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि शासी निकाय से, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध सौंपा गया है, किसी सूचना या विवरणियों को देने की अपेक्षा की गई है,-

(i) धारा 4 क के अधीन अपेक्षित सूचना या विवरणियाँ देने से जानबूझ इंकार या विना विधिपूर्ण कारण के उपेक्षा करती है ; या

(ii) कोई सूचना या विवरणियां जिसे वह मिथ्या होना जानती है, देती है या दिलवाती है ; या

(iii) किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करती है या जानबूझ कर मिथ्या उत्तर देती है जो कि धारा 4क के अधीन अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ऐसी शासी निकाय, प्रत्येक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर जुर्माने से दंडित की जाएगी जिसे पचास रुपए तक बढ़ाया जा सकता है ।

11ख. सूचना या विवरणी के अनुचित प्रकटीकरण के लिए शास्ति :- यदि महानिरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन सूचना या विवरणियों के संग्रहण से संबंधित सम्यक रुप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों के पालन में या इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन अपराध के अभियोजन के उद्देश्यों के अलावा इस अधिनियम के अधीन दी गई सूचना या तैयार की गई विवरणियों के अंतर्वस्तु का जानबूझकर प्रकटीकरण करता है तो वह ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जुर्माने से दंडनीय होगा जिसे दो सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है ।

11ग. अपराधों का संज्ञान.- धारा 11 क के अधीन अपराध के लिए अभियोजन महानिरीक्षक द्वारा या उसकी मंजूरी विना संस्थित नहीं किया जाएगा और धारा 11ख के अधीन अपराध के लिए कोई अभियोजन सरकार द्वारा या उसकी सहमति के अलावा संस्थित नहीं किया जाएगा ।"

8. धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 में "पूर्णतः या भागतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ" शब्दों के पश्चात् "या सोसाइटी का नाम बदलना" शब्द रखे जाएंगे ।

9. नई धाराओँ 12क, 12ख, 12ग, और 12घ का अंतःस्थापन,- मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"**12क. नाम को परिवर्तित करने का रजिस्ट्रीकरण**.-

(1) जहां धारा 12 में विनिर्दिष्ट रीति से सोसाइटी के नाम को परिवर्तित करने की प्रतिपादना मंजूर या पुष्ट की जा चुकी है, ऐसी मंजूर या पुष्ट प्रतिपादना की एक प्रति नाम के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए महानिरीक्षक को अग्रेषित की जाएगी ।

(2) यदि उसकी राय में प्रस्तावित नाम का परिवर्तन धारा 3क में वर्णित किन्हीं कारणों से अवांछनीय है तो महानिरीक्षक नाम के परिवर्तन को रजिस्टर करने से इंकार कर देगा ।

(3) उप-धारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय, महानिरीक्षक यदि इस बात से संतुष्ट होता है कि नाम परिवर्तित करने संबंधी इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, तब वह नाम का परिवर्तन रजिस्टर करके मामले की परिस्थितियों की पूर्ति के लिए परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र के जारी करने पर नाम का परिवर्तन पूर्ण होगा ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी प्रमाणपत्र की किसी प्रति के लिए महानिरीक्षक एक रुपए की फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार संदत्त फीस सरकार की कैफियत होगी ।

(5) यदि किसी अनवधानता या अन्यथा, कोई सोसाइटी किसी नाम से रजिस्ट्रीकृत हुई है जिसे (धारा 3क के प्रावधानों का सम्यक पालन करते हुए) रजिस्ट्रीकृत नहीं होना चाहिए, महानिरीक्षक संबंधित पक्षकार को सुनकर सोसाइटी के नाम को परिवर्तित करने का आदेश दे सकेगा और सोसाइटी ऐसे निदेश देने की तारीख से तीन माह के भीतर या ऐसी अधिक अवधि जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में महानिरीक्षक अनुमत करना उचित समझे, अपना नाम परिवर्तित करेगी।

12ख. नाम परिवर्तित करने का प्रभाव – सोसाइटी के नाम परिवर्तित करने का सोसाइटी के अधिकार और बाध्यता को प्रभावित नहीं करेगा या सोसाइटी के द्वारा या इसके विरूद्ध किन्हीं विधिक कार्रवाइयों को त्रुटिपूर्ण नहीं करेगा । कोई विधिक कार्रवाई, जो इसके पूर्ववर्ती नाम से इसके द्वारा या इसके विरूद्ध प्रारम्भ हुई थी, इसके नए नाम से या इसके द्वारा प्रारम्भ या चालू रह सकेगी ।

12ग. खातों का रख-रखाव और उसका अतिशेष और लेखांकन – (1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक शासी निकाय, जिसे सोसाइटी के प्रबंध का कार्यभार सौंपा गया है, नियमित लेखा रखेगी ।

(2) ऐसा लेखा ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा, जैसा महानिरीक्षक अनुमोदित करे और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जैसा कि विहित किया जाए ।

(3) सोसाइटी का लेखा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को या ऐसी तारीख को, जो महानिरीक्षक नियत करे, अतिशेषित किया जाएगा ।

(4) सोसाइटी का लेखा वार्षिक रूप से ऐसी रीति से संपरीक्षित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए और यह चार्टेड एकाउन्टेंट एक्ट, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की परिभाषा में आने वाले चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया जाए, संपरीक्षित किया जाएगा ।

12घ. अनियमितताओं को रिपोर्ट करने का संपरीक्षक का कर्तव्य – (1) धारा 12ग के अधीन सोसाइटी के खातों को संपरीक्षित कर रहे प्रत्येक संपरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उस खाते की संपरीक्षा के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करे और उसे महानिरीक्षक को अग्रेषित करे ।

(2) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में अनियमितता, अवैध या अनुचित व्यय, किसी धन या उसके किसी संपत्ति की वसूली में असफलता या लोप के सभी मामलों को विनिर्दिष्ट करेगा , और यह भी वर्णित करेगा कि क्या ऐसा व्यय, असफलता, लोप, क्षति या नुकसान न्यास भंग या शासी निकाय या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दुर्विनियोग या अन्य अवचार का परिणाम है ।

10. नई धारा 14क का अंतःस्थापन – मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"14क. विघटित सोसाइटी की संपत्ति का निपटारा – धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि विघटन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यों या परोक्ष मतों के द्वारा पूर्ण बहुमत से यह विनिश्चित करें कि कोई भी संपत्ति, चाहे वह जैसी हो, इसके ऋणों एवं दायित्वों की संतुष्टि करने के पश्चात् शेष बची हो, धारा 1क में निर्दिष्ट उद्देश्यों के उपयोग के लिए सरकार को दी जाएगी ।"

11. धारा 17 का संशोधन – मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(1) "1850 का अधिनियम, 43" शब्द और अंक, जहां-जहां वे आते हैं, "सोसाइटी के आदेश का रजिस्ट्रीकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) "इस अधिनियम के पारित होने" शब्दों के स्थान पर "इस संघ राज्यक्षेत्र में इस अधिनियम का प्रारम्भ" शब्द रखे जाएंगे ।

12. धारा 18 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 18 में, "संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ।

13. धारा 19 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

(i) "कोई भी व्यक्ति निरीक्षण कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "धारा 4क में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति निरीक्षण कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर "महानिरीक्षक" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) "और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिए दो आने देकर" शब्दों के स्थान पर "या महानिरीक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि उसे किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, दस्तावेज या उसके किसी भाग के ऐसी फीस के संदाय पर देय, जो कि सरकार या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नियत किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

14. नई धारा 21 का अंतःस्थापन - मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"**21. नियम बनाने की शक्तियां** – (1) सरकार पूर्व प्रकाशित शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र गोवा, दमन और दीव विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधानसभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या विधानसभा इस बात पर सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह केवल ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या यथास्थिति वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

सचिवालय,

पणजी

9 अक्तूबर, 1979

(एम. के. मिश्रा)

सचिव, गोवा, दमन और दीव सरकार

विधि विभाग (विधिक सलाह)

संलग्नक-II

गोवा सरकार

विधि और न्याय विभाग

विधि कार्य प्रभाग

अधिसूचना

7-12-98आईएलए [27.5.1999]

सोसाइटी रजिस्ट्रीरण (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 (1999 का गोवा अधिनियम, 1) जो कि गोवा विधान सभा द्वारा 13.07.1998 को पारित किया गया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27.05.1999 को अनुमति दी गई, एतत् द्वारा जनता की साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

पी.वी. कादनेकर, संयुक्त सचिव (विधि),

पणजी, 11 जून, 1999।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा द्वितीय संसोधन) अधिनियम,1998

(1999 का गोवा अधिनियम 1)

अधिसूचना

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 को गोवा राज्य में इसे लागू करने में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में गोवा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **नई धाराओं 3ख और 3ग का अंतःस्थापन** – सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम, 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 3क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"3ख रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का नवीकरण" – (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा :

परंतु यह कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ के पूर्व जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(2) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, चाहे वह उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् की हो, उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर महानिरीक्षक को आवेदन करने पर और उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर एक बार में पांच वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण की हकदार होगी :

परंतु यह कि उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का नवीकरण नामंजूर करेगा, यदि ऐसी नामंजूरी के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् वह इस बात से संतुष्ट होता है कि धारा 4क में वर्णित आधारों में से कोई आधार इस संबंध में विद्यमान है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ –

(क) यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फ़ाइल किया गया है तब धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस के बराबर फीस या 100/-रुपए, जो भी कम हो ;

(ख) यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि के अवसान के एक माह के भीतर फ़ाइल किया गया है, तब 25/- रुपए, अतिरिक्त फीस ;

(ग) यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि के अवसान के एक माह के पश्चात् फ़ाइल किया गया है, 5/- रुपए, प्रति माह अतिरिक्त या उसके किसी भाग की दर से फीस, महानिरीक्षक को संदाय किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण के पश्चात् निर्वाचित प्रबंध या शासी निकाय, यथास्थिति, के सदस्यों की सूची के साथ नवीकरण के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र भी सहयुक्त होगा,जब तक कि महानिरीक्षक द्वारा इसके खो जाने या नष्ट हो जाने या अन्य किसी पर्याप्त कारणों से छूट नहीं दे दी जाती है।

(5) कोई सोसाइटी जिस कालावधि के लिए प्रमाणपत्र प्रवर्तनीय था, उसके अवसान के एक वर्ष के भीतर इस धारा के प्रावधानों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असफल रहती है, वह अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जाएगी :

परंतु यह कि महानिरीक्षक पर्याप्त कारणों से 50/-रुपए की फीस के संदाय पर, जिस कालावधि के लिए प्रमाणपत्र प्रवर्तनीय था, उसके अवसान के पश्चात् एक वर्ष से अधिक के नवीकरण के आवेदन को अनुमत कर सकेगा।

(6) जहां कोई रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र उपधारा (2) या (4) के अनुसरण में नवीकरण कर दिया जाता है, ऐसा नवीकरण, उस कालावधि के अवसान की तारीख से प्रवर्तित होगा जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रवर्तित था।

3ग. सरकार को निर्देश – यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई सोसाइटी धारा 3 के अनुसरण में स्वयं रजिस्ट्रीकृत होने की हकदार है या धारा 3ख के अनुसरण में इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र यह प्राप्त करेगी, यह मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।"]

3. नई धाराओं 20क, 20ख, 20ग, 20घ और 20ङ का अंतःस्थापन. - मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"20क सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण – (1) जहां धारा 4क के अधीन या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर या धारा 12घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में महानिरीक्षक को यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी इस प्रकार से संचालित की जा रही है जो सोसाइटी के उद्देश्यों को विफल करे या यह कि सोसाइटी या इसके शासी निकाय, जिस नाम से भी पुकारा जाए, सोसाइटी पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण वाले इसका कोई अधिकारी इसके कामकाज के कुप्रबंध की दोषी है या वैश्वासिक या इस प्रकार की अन्य बाध्यताओं का भंग हुआ है, तब महानिरीक्षक या तो स्वयं या उसकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण या अन्वेषण कर सकेगा या सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि महानिरीक्षक या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सोसाइटी मे सम्बन्धित लेखाबही या अन्य अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में है, उमे पेश करे या ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के सम्बन्ध में उसे सभी प्रकार की सहायता करे।

(3) महानिरीक्षक या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी या सदस्य को बुला सकेगा और शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और प्रत्येक अधिकारी,सदस्य या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि जब भी उसे बुलाया जाएगा, उसके समक्ष ऐसी परीक्षा के लिए उपसंजात हो।

(4) महानिरीक्षक या उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति की यदि यह राय है कि निरीक्षण या अन्वेषण के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है तो वह सोसाइटी के लेखाबहियों सहित किसी या सभी अभिलेखों का अभिग्रहण कर सकेगा;

परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अभिलेखों का अभिग्रहण किया गया है, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा अभिलेख है, उसकी प्रतिलिपि लेने का हकदार होगा।

(5) निरीक्षण या अन्वेषण, यथास्थिति, की समाप्ति पर महानिरीक्षक द्वारा निरीक्षण या अन्वेषण के लिए नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, निरीक्षण या अन्वेषण के परिणाम के सम्बन्ध में रिपोर्ट महानिरीक्षक को देगा।

(6) महानिरीक्षक, ऐसे अन्वेषण या निरीक्षण के पश्चात् सोसाइटी या इसके शासी निकाय या इसके किसी अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, को ऐसा निदेश दे सकेगा कि कोई त्रुटियां या अनियमितताएं ऐसे समय के भीतर दूर की जाएं, जैसा की विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे निर्देशों के अनुसरण में कार्रवाई करने के व्यतिक्रम की स्थिति में महानिरीक्षक धारा 12 घ के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

20ख. शास्ति – यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के द्वारा अपेक्षित सूची में या महानिरीक्षक को भेजे गए नियमों या नियमों के परिवर्तन की प्रति के विवरण में या से जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि दर्ज करता है या करवाता है या से लोप करता है या धारा 12 घ द्वारा यथा अपेक्षित संपरीक्षा के लिए उपलब्ध अन्य दस्तावेजों या इसके खातों को बनाने मे इंकार या उपेक्षा करता है या धारा 20क की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित लेखावही या अन्य अभिलेख पेश करने में जानबूझकर असफल रहता है या महानिरीक्षक या इसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष उपसंजात होने से जानबूझकर असफल रहता है या धारा 20क की उपधारा (3) के उपबंधों का अन्यथा उल्लंघन करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जिसे 2000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

20ग. अपराध का संज्ञान – इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्नतर किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा और न ही किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, महानिरीक्षक या साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इसके द्वारा लिखित रूप में इसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के परिवाद के अलावा लिया जाएगा।

20घ. अपराध के शमन की शक्ति – (1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा महानिरीक्षक या इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस बात के लिए मशक्त कर सकेगी कि किसी व्यक्ति मे जिसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 20ख के अधीन दंडनीय अपराध किया है या जिसके विरूद्ध उस धारा के अधीन अभियोजन संस्थित है, शमन राशि के रूप में कोई धनराशि उस अपराध के लिए, जिसका कि वह व्यक्ति संदिग्ध है या उसके करने का अभियुक्त है,स्वीकार करे।

(2) ऐसी शमन राशि के संदाय पर यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में है तो वह उन्मोचित कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी, और यदि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थित है तो शमन का प्रभाव उसकी दोषमुक्ति होगी।

20ङ. क्षतिपूर्ति – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या आशयित किसी कार्य के लिए सरकार, महानिरीक्षक या धारा 20क के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां किसी न्यायालय में नहीं होगी।"

सचिवालय एनेक्सी

पणजी,तारीख ; 11-06-1999।

(बी.एस.सुब्बन्ना)

सचिव, गोवा सरकार

विधि विभाग (विधिक कार्य)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2018

G.S.R. 1039(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979 (Act No.6 of 1979) and the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (Goa Act 1 of 1999), as in force in the State of Goa on the date of this notification, subject to the following modifications, namely: -

MODIFICATIONS

PART-A

THE SOCIETIES REGISTRATION (GOA, DAMAN AND DIU FIRST AMENDMENT) ACT, 1979

(ACT NO.6 OF 1979)

1. Throughout the Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979 (hereinafter referred to as the said Act),-

(a) for the words "Goa, Daman and Diu", wherever they occur, the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;

(b) for the word "State", wherever it occurs, the words "Union territory" shall be substituted;

(c) for the words "Inspector General", wherever they occur, the words "Registrar of Societies" shall be substituted.

2. In the said Act,-

(a) in section 1, in sub-section (1), after the figures "1979", the words "as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be inserted;

(b) in section 2, under the heading "1. Definitions",-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

'(a) "Registrar of Societies" means the Registrar appointed under section 2A of this Act;';

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

'(d) "Government" means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli headed by the Administrator;';

(c) after section 2, the following section shall be inserted, namely:-

"**2A. Registrar and Sub-Registrar.-** The Government may appoint such persons, whether public officers or not, as it thinks proper, to be Registrar and Sub-Registrar of the district, respectively.";

(d) in section 11, clause (i) shall be omitted;

(e) in section 14, under the heading "21. Powers to make rule", for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.".

PART-B

THE SOCIETIES REGISTRATION (GOA SECOND AMENDMENT) ACT, 1998

(GOA ACT 1 OF 1999)

1. Throughout the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (hereinafter referred to as the said Act, for the words "Inspector General", wherever they occur, the words "Registrar of Societies" shall be substituted.

2. In the said Act,-

(a) in section 1, in sub-section(1), after the figures "1998", the words "as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be inserted;

(b) in section 2, under the heading "3B. Renewal of certificate of registration", in sub-section (1), in the proviso, after the figures "1998", the words "as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be inserted.

[F. No. U-11025/3/2017-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.

ANNEXURE-I

GOVERNMENT OF GOA, DAMAN AND DIU

Law Department (Legal Advice)

Notification

LD/3429/2/79

The following Act which was passed by the Legislative Assembly on 27-3-1979 and assented to by the President of India on 20-9-1979 is hereby published for general information of the public.

B.S Subbanna, Under Secretary (Law).

Panaji, 9th October, 1979.

The Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment)

Act, 1979

(Act No. 6 of 1979) [20.9.1979]

AN

ACT

to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to the Union territory of Goa, Daman and Diu.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 1.— In the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) (hereinafter referred to as the principal Act), the existing section 1 shall be re-numbered as section 1A and;

(i) before section 1A as so re-numbered, the following section shall be inserted, namely:—

"1. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Inspector-General" means the Inspector-General of Registration appointed under section 3 of the Indian Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), and includes any of the District Authorities subordinate to the Inspector-General of Registration not below the rank of a District Registrar to whom powers may be delegated in respect of this Act;

(b) "notification" means notification published in the Official Gazette;

(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(d) "Registration of Societies Order" means the Registration of Societies Order, issued by the Lieutenant Governor of Goa, Daman and Diu under clause 2 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Removal of Difficulties Order, 1962.".

(ii) in section 1A as so re-numbered, for the words "the Registrar of Joint Stock Companies" the words "the Inspector-General" shall be substituted.

3. Amendment of section 3.— In section 3 of the principal Act,— (i) for the words "the Registrar shall certify", the words "the Inspector-General shall, subject to the provisions of section 3A, certify" shall be substituted;

(ii) for the words "the Registrar for", the words "the Inspector-General for" shall be substituted.

4. Insertion of new section 3A. — After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"3A. Prohibition against registration of societies with undesirable names.— No society shall be registered by a name which, in the opinion of the Inspector-General, is undesirable, being a name which is identical with, or which in the opinion of the Inspector-General so nearly resembles the name by which any other existing society has been previously registered as to be likely to deceive the public or members of either society, or which is being used without the previous permission of the Government concerned, and which suggests or is calculated to suggest the patronage of any Government or connection with any body constituted by any Government or local authority, or which may, subject to any rules made in this behalf, be deemed to be undesirable by the Inspector-General.

Provided that no order shall be passed under section 3A unless the party against whom such order is proposed to be passed is heard on the matter.".

5. Amendment of section 4.— In section 4 of the principal Act, for the words "the Registrar of Joint Stock Companies", the words "the Inspector-General" shall be substituted.

6. Insertion of new section 4A.— After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"4A. Power of Inspector-General to call for information or returns from governing body of society and provisions relating thereto.— (1) The Inspector-General may serve or cause to be served, on the governing body entrusted with the management of the affairs of any society registered under this Act, a notice requiring it to furnish in such manner as may be prescribed, information or returns relating to persons employed by the society, their conditions of employment (including their emoluments, any contributions, concessions or other benefits and amenities provided for employees) and such other matters relating thereto, as may be prescribed.

(2) The form in which such information or returns shall be furnished, the particulars which they shall contain and the intervals (if any) in which such information or returns shall be furnished, shall be such as may be prescribed.

(3) The notice referred to in sub-section (1) may be served by post.

(4) No information or returns collected for the purposes of this section, shall, without the previous consent in writing of the society in relation to which the information or returns was given or made, be published in such manner as would enable any particulars to be identified as referring to a particular society.

(5) Except for the purposes of a prosecution under section 11A or under the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860), no person other than the Inspector-General or any person duly specified by him in this behalf, shall be permitted to see any information or returns furnished as aforesaid.

(6) No suit or other legal proceeding shall lie against the Inspector-General or any person acting under the authority of the Inspector-General in respect of anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this section.".

7. Insertion of new sections 11A, 11B and 11C.— After section 11 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"11A. Penalty for contravening section 4A.— If the governing body entrusted with the management of the affairs of any society registered under this Act required to furnish any information or returns —

(i) wilfully refuses or without lawful excuse neglects to furnish such information or returns as may be required under section 4A; or

(ii) wilfully furnishes or causes to be furnished any information or returns which it knows to be false; or

(iii) refuses to answer or, willfully gives a false answer to any question necessary for obtaining any information required to be furnished under section 4A,

such governing body shall, for each such offence, on conviction, be punished with fine which may extend to fifty rupees.

11B. Penalty for improper disclosure of information or return.— If the Inspector-General or any person duly authorized by him in connection with the collection of any information or returns under this Act willfully discloses any information or contents of any returns given or made under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of prosecution, of an offence under this Act or the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860), he shall, on conviction, be punished for such offence with fine which may extend to two hundred rupees.

11C. Cognizance of offences.— No prosecution for an offence under section 11A shall be instituted, except by or with the sanction of, the Inspector-General, and no prosecution for an offence under section 11B shall be instituted except by or with the consent of the Government.".

8. Amendment of section 12.— In section 12 of the principal Act, after the words "either wholly or partially with any other society" the words "or to change the name of the society" shall be inserted.

9. Insertion of new sections 12A, 12B, 12C and 12D.— After section 12 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"12A. Registration of change of name.— (1) Where a proposition for change of name of a society has been agreed to and confirmed in the manner specified in section 12, a copy of the proposition so agreed to and confirmed shall be forwarded to the Inspector-General for registering the change of name.

(2) If the proposed change of name is in his opinion undesirable for any of the reasons mentioned in section 3A, the Inspector-General shall refuse to register the change of name.

(3) Save as provided in sub-section (2), the Inspector-General shall, if he is satisfied that the provisions of the Act in respect of the change of name have been complied with, register the change of name and issue a certificate of registration altered to meet the circumstances of the case and on the issue of such a certificate, the change of name shall be complete.

(4) The Inspector-General shall charge for any copy of a certificate issued under sub-section (3) a fee of one rupee and all fees so paid shall be accounted for to the Government.

(5) If, through inadvertence or otherwise, a society is registered by a name which should not have been registered (due regard being had to the provisions of section 3A), the Inspector-General, may, after hearing the party concerned, direct the society to change the name, and the society shall change its name within a period of three months from the date of such direction or such longer period as the Inspector-General may think fit to allow, in accordance with the provisions of this Act.

12B. Effect of change of name.— The change of name of a society shall not affect any right or obligation of the society or render defective any legal proceeding by or against the society, any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name.

12C. Maintenance of accounts and their balancing and accounting.— (1) Every governing body entrusted with the management of the affairs of a society registered under this Act shall keep regular accounts.

(2) Such accounts shall be kept in such form as may be approved by the Inspector-General, and shall contain such particulars as may be prescribed.

(3) The accounts of a Society shall be balanced each year on the 31st day of March or such other date as may be fixed by the Inspector-General.

(4) The accounts of a society shall be audited annually in such manner as may be prescribed and by a person who is a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act 38 of 1949), or by such persons as may be authorized in this behalf by the Government.

12D. Auditor's duty to report irregularity.— (1) It shall be the duty of every auditor, auditing the accounts of a society under section 12C to prepare a report relating to auditing such account and forward a copy of the same to the Inspector-General.

(2) The auditor shall, in his report, specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure, or failure or omission to recover moneys or other property thereof, and state whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust, or misappropriation or any other misconduct on the part of the governing body or any other person.".

10. Insertion of new section 14A.— After section 14 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"14A. Disposal of property of a dissolved society.— Notwithstanding anyting contained in section 14, it shall be lawful for the members of any society dissolved under section 13 to determine by a majority of the votes of the members present personally or by proxy at the time of dissolution of such society that any property whatsoever remaining after the satisfaction of all its debts and liabilities shall be given to Government to be utilized for any of the purposes referred to in section 1A.".

11. Amendment of section 17.— In section 17 of the principal Act, —

(1) for the words and figures "Act 43 of 1850", wherever they occur, the words, "the Registration of Societies Order" shall be substituted.

(ii) for the words "passing of this Act" the words "commencement of this Act in this Union territory" shall be substituted.

12. Amendment of section 18.— In section 18 of the principal Act, for the words "the Registrar of Joint Stock Companies",— The words "the Inspector-General" shall be substituted.

13. Amendment of section 19.— In section 19 of the principal Act.—

(i) for the words "Any persons may inspect", the words "Except as otherwise provided by section 4A, any person may inspect" shall be substituted;

(ii) for the words "The Registrar", the words "the Inspector-General" shall be substituted;

(iii) for the words "and any person may require a copy or extract of any document or any part of any document, to be certified by the Registrar, on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract", the words "or may require the Inspector-General to give him a certified copy or extract of any document or any part thereof on payment of such fee as the Government or any officer authorized by it may by notification in the Official Gazette fix in that behalf" shall be substituted.

14. Insertion of new section 21.— After section 20 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"21. Powers to make rule.— (1) The Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the sessions immediately following the session or the successive sessions aforesaid; the Assembly agrees in making any modification in any such rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule.".

Secretariat,

Panaji

9th October 1979.

(M. K. MISHRA)

Secretary to the Government of

Goa, Daman and Diu.

Law Department (Legal Advice)

IndiaCode

ANNEXURE-II

GOVERNMENT OF GOA

Department of Law and Judiciary

Legal Affairs Division

Notification

7-12-98ILA [27.5.1999]

The Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (Goa Act 1 of 1999) which has been passed by the Legislative Assembly of Goa on 13-7-1998 and assented to by the President of India on 27-5-1999, is hereby published for general information of the public.

P.V. Kadneker, Joint Secretary (Law).

Panaji, 11th June, 1999.

The Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998

(Goa Act 1 of 1999)

AN

ACT

to amend the Societies Registration Act, 1860, in its application to the State of Goa.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the Forty ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new sections 3B and 3C. - In the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after section 3A, the following sections shall be inserted, namely:-

"3B. Renewal of certificate of registration.— (1) Subject to the provisions of sub-section (2), a certificate of registration issued under section 3 shall remain in force for a period of five years from the date of issue:

Provided that a certificate of registration issued before the commencement of the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (hereinafter in this section referred to as the "said Act"), shall remain in force for a period of one year from the date of such commencement.

(2) A society registered under section 3, whether before or after commencement of the said Act, shall, on application made to the Inspector-General on expiration of the period referred to in sub- section (1) and on payment of fees specified in sub-section (3), be entitled to have its certificate of registration renewed for five years, at a time:

Provided that in the case of a society registered before the commencement of the said Act, the Inspector-General shall refuse to renew the certificate of registration, if, after giving it an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that any of the grounds mentioned in section 4A exist in respect thereof.

(3) There shall be paid to the Inspector-General with every application for renewal of certificate of registration—

(a) a fee equal to the registration fee payable under section 3 or Rs. 100/-, whichever is less, if such application is filed within the period specified under sub-section (2);

(b) an additional fee of Rs. 25/-, if such application is filed within one month of the date of expiration of the period specified under sub-section (2);

(c) an additional fee at the rate of Rs. 5/- per month or part thereof, if such application is filed beyond one month of the expiration of the period specified under sub-section (2).

(4) Every application for renewal of certificate of registration shall be accompanied by the list of members of the managing body or governing body, as the case may be, elected after the registration of society or after renewal of certificate of registration and also the certificate sought to be renewed, unless dispensed with by the Inspector General on the ground of its loss or destruction or any other sufficient cause.

(5) A society which fails to get the certificate of registration renewed in accordance with this section within one year from the expiration of the period for which the certificate was operative, shall become an unregistered society:

Provided that the Inspector-General may, for sufficient cause, allow the application for renewal for more than one year after the expiration of the period for which the certificate was operative, on payment of fees of Rs. 50/-.

(6) Where a certificate of registration is renewed in accordance with sub-section (2) or sub-section (4), such renewal shall operate from the date of expiration of the period for which the certificate was operative.

3C. Reference to the Government.— If any question arises whether any society is entitled to get itself registered in accordance with section 3 or to get it's certificate of registration renewed in accordance with section 3B, the matter shall be referred to the Government, and the decision of the Government thereon shall be final."].

3. Insertion of new sections 20A, 20B, 20C, 20D and 20E.- After section 20 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"20A. Investigation of affairs of society.— (1) Where, on information received under section 4A or otherwise, or in circumstances referred to in section 12D, the Inspector-General is of the opinion that there is apprehension that the affairs of the society registered under this Act, are being so conducted as to defeat the objects of the society or that the society or its governing body, by whatever name called, or any officer thereof in actual effective control of the society is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations, the Inspector-General may, either himself or by any person appointed by him in that behalf, inspect or investigate into the affairs of the society or inspect any institution managed by the society.

(2) It shall be the duty of every officer of the society when so required by the Inspector-General or other person appointed under sub-section (1), to produce any books of accounts or other records of or relating to the

society which are in his custody or to give him all assistance in connection with such inspection or investigation.

(3) The Inspector-General or other person appointed under sub-section (1) may, call upon and examine on oath any officer, member or employee of the society in relation to the affairs of the society and it shall be the duty of every officer, member or employee, when called upon, to appear before him for such examination.

(4) The Inspector-General or other person appointed under sub-section (1) may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation, seize any or all the records including the accounts books of the society:

Provided that any person from whose custody such records are seized, shall be entitled to make such copies thereof, in the presence of the person having the custody of such records.

(5) On the conclusion of the inspection or investigation, as the case may be, the person, if any, appointed by the Inspector-General to investigate or inspect, shall make a report to the Inspector- General on the result of his inspection or investigation.

(6) The Inspector-General may, after such investigation or inspection, give such directions to the society or its governing body or any officer thereof, as he may think fit, for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified and in the event of default in taking action in accordance with such directions, the Inspector-General may proceed to take action under section 12D.

20B. Penalty.— If any person willfully makes or causes to be made any false entry in, or any omission from, the list required by section 4 or in or from any statement of copy of rules or of alteration of rules sent to the Inspector-General or neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit as required by section 12D or willfully fails to produce any book of account or other records as required by sub-section (2) of section 20A or willfully fails to appear before the Inspector-General or other person appointed by him or otherwise contravenes any of the provisions of sub-section (3) of section 20A, shall be punishable with fine which may extend to Rs. 2000/-.

20C. Cognizance of offence.— No court inferior to that of Magistrate of First Class, shall try any offence punishable under this Act, nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Inspector-General or any other person authorized in writing by him, by general or special order in this behalf.

20D. Power to compound offence.— (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, empower the Inspector-General or any officer authorized in this behalf, to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under section 20B or against whom a prosecution under that section has been instituted, a sum of money by way of composition fee for the offence which such person is suspected or accused to have committed.

(2) On payment of such composition fee, the suspected person, if in custody, shall be discharged and no other proceeding shall be taken against him, and if prosecution against such person had been instituted, the composition shall have the effect of his acquittal.

20E. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie in any court against the Government, the Inspector-General or against any person appointed for inspection or investigation under section 20A, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.".

Secretariat Annexe,

Panaji Dated; 11-6-1999.

B.S.SUBBANNA,
Secretary to the Government of Goa
Law Department (Legal Affairs).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.22 11:31:17 +05'30'